न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2024/507
मुकदमा नम्बर 179/2024 दर्ज दिनांक– 18.11.2024

सुशीला पुत्री शैतानाराम जाति मेघवाल, निवासी नवलडी,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
—अनावेदक

वकील आवेदक :– श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 24.06.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन *किया कि, ग्राम नवलडी में स्थित भूमि खसरा नं. 1822/3 रकबा 0.19 है0 की बजाय खसरा* नं. 3 रकबा 0.19 है0 की खातेदारी नन्दाराम, सुमेर पुत्रान नाहरमल जाति मेघवाल निवासी नवलडी तथा खसरा नं. 3 रकबा 0.66 है0 की बजाय खसरा नं. 1822/3 रकबा 0.66 की खातेदारी सुशीला पुत्री शैतानाराम हिस्सा 11/12 तथा 1/12 हिस्से की खातेदारी रमेश पुत्र गोपीराम के नाम शुद्व किये जाने का आदेश किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद आवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार नवलगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कमांक/भू.अ./24/5887 दिनांक 03.01.2025 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के निर्णय दिनांक 26.06.2014 की पालना में नामान्तकरण सं. 1551 निर्णय दिनांक 1/12/2014 द्वारा खसरा नं. 3 का रकबा 0.66 तथा ख.नं. 1822/3 का रकबा 0.19 है0 दर्ज किया गया है। निर्णय अनुसार ख.नं. 3 का रकबा 0.19 है0. तथा ख.नं. 1822/3 का रकबा 0.66 है0 होना चाहिए था। अतः खसरा नं. 3 का रकबा 0.19 है0 तथा ख.नं. 1822/3 का रकबा 0.19 है0 की खातेदारी नन्दाराम,सुमेर पुत्रान नाहरमल उर्फ नारूराम तथा ख.नं. 1822/3 रकबा 0.66 है0 की खातेदारी रमेश पुत्र गोपीराम हि. 1/12, सुशीला पुत्री शैतानाराम हि. 11/12 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। यह प्रा. पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के उनवानी प्रकरण अमरसिंह बनाम मुखराम वगै0 मु.नं. 09/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 26.06.2014 कि पालना में दर्ज नामान्तकरण में राजस्व अधिकारियों द्वारा त्रुटी किये जाने के कारण पेश हुआ है। जिसकी पुष्टी तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./24/5887 दिनांक 03.01.2025 द्वारा भी होती है।

इसलिये आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के उनवानी प्रकरण अमरसिंह बनाम मुखराम वगै0 मु.नं. 09/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 26.06.2014 में अंकित अनुसार राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटी को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./24/5887 दिनांक 03.01.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है, कि राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों/डिक्री का भविष्य में सावधानी पूर्वक अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार नवलगढ अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./24/5887 दिनांक 03.01.2025 अनुसार ख.नं. 3 का रकबा 0.19 है0 तथा ख.नं. 1822/3 का रकबा 0.66 है0 तथा ख.नं. 3 कि खातेदारी नन्दाराम, सुमेर पुत्रान नाहरमल उर्फ नारूराम तथा ख.नं. 1822/3 रकबा 0.66 है0 की खातेदारी रमेश पुत्र गोपीराम हि. 1/12, सुशीला पुत्री शैतानाराम हि. 11/12 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू